न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 24/2024

अनवान : –

1. नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थीया**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः -07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 117/107 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 117/113 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 67/66 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि तीनो खातो मे प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम नगमा पुत्री जमालदीन दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम मुताबिक दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में नगमा है तथा प्रार्थीया अपने पिता के नाम के आगे पत्नी असलम भी दर्ज करवाना चाहती है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में नगमा पुत्री जमालदीन के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम नजमा पुत्री जमालदनी पत्नी असलम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में नाम सही कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी याने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयो का नाम नगमा पुत्री जमालदीन दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 117/107 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 117/113 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 67/66 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि तीनो खातो मे प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थीया अपना नाम नगमा पुत्री जमालदनी के स्थान पर नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम नजमा पत्नी असलम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 117/107 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 117/113 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 67/66 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि तीनो खातो मे प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम **नगमा पुत्री जमालदीन के स्थान पर नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नगमा पुत्री जमालदीन के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का नगमा पुत्री जमालदीन के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम नगमा पुत्री जमालदीन ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 586
दिनांक : 12/06/24

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 24 / 2024 अनवानी नजमा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 24 / 2024
अनवान : —

1. नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

—प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 117 / 107 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 117 / 113 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 67 / 66 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि तीनो खातो मे प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम **नगमा पुत्री जमालदीन के स्थान पर नजमा पुत्री जमालदीन पत्नी असलम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नगमा पुत्री जमालदीन के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का नगमा पुत्री जमालदीन के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम नगमा पुत्री जमालदीन ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:55 IST
Reason: SelfAttested